जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
(जन–सम्पर्क अनुभाग)
(प्रेस विज्ञप्ति)

उदार ओपन एक्सेस नीति से जनसाधारण पर 1400 करोड़ का अतिरिक्त भार

जयपुर, 05 जनवरी। ओपन एक्सेस रेग्यूलेशन 2004 के प्रावधानों में अधिक शिथिलता की वजह से आम बिजली उपभोक्ताओं पर पड़ रहे प्रभाव को देखते हुए राजस्थान डिस्कॉम्स ने ओपन एक्सेस रेग्यूलेशन की समीक्षा कर उचित बदलाव के लिए विनियामक आयोग के समक्ष याचिका दाखिल की है। जिससे जनसाधारण पर अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़े।

बिजली वितरण कम्पनियों के अध्यक्ष भास्कर ए. सावंत ने बताया कि कृषि एवं घरेलू उपभोक्ताओं के साथ ही औधोगिक उपभोक्ताओं द्वारा दिन के समय बिजली का उपभोग करने से बिजली की मांग बढ जाने के कारण विद्युत निगमों को या तो लोड शेडिंग करनी पड़ती है या बढ़ी हुई मांग की पूर्ति के लिए मंहगी बिजली खरीद कर उपभोक्ताओं को उपलब्ध करानी पडती है। इसके साथ ही रात के समय पर्याप्त बिजली उपलब्ध होने के बावजूद भी औधोगिक उपभोक्ताओं द्वारा ओपन एक्सेस से बिजली खरीदने के कारण बिजली की मांग में कमी होने से सरप्लस बिजली को सस्ती दरों पर बेचना पडता है। इन सब कारणों का सीधा असर दरों में वृद्धि के रूप में अन्य उपभोक्ताओं को भुगतना पडता है।

उन्होंने बताया कि विद्युत अधिनियम–2003 के प्रावधानों के अन्तर्गत एक मेगावाट से अधिक उपभोग करने वाले उपभोक्ता ही ओपन एक्सेस के द्वारा बिजली कम्पनियों के अलावा अन्य स्त्रोतों से बिजली खरीद सकते है। लेकिन अधिकांश उपभोक्ता अपनी कान्ट्रेक्ट डिमाण्ड एक मेगावाट या उससे अधिक करा लेते हैं जबकि उनके द्वारा विद्युत उपयोग इससे बहुत कम होता है। कई प्रकरणों में तो यह 300–400 किलोवाट भी नही होता है। यह ओपन एक्सेस के प्रावधानों की मंशा के विपरित है। केवल ओपन एक्सेस में सस्ती बिजली लेने के लिए ही वे गलत तथ्य पेश कर कान्ट्रेक्ट डिमाण्ड को बढवा लेते है।

श्री सावंत ने बताया कि वर्तमान में 280 उपभोक्ता ओपन एक्सेस से बिजली ले रहे हैं तथा उनके द्वारा प्रतिमाह लगभग 50 करोड़ यूनिट बिजली का उपभोग किया जा रहा है। अनुमान है कि इस वित्तीय वर्ष में करीब 550 करोड़ यूनिट बिजली ओपन एक्सेस के माध्यम से खरीदी जाएगी। यदि यह बिजली डिस्कॉम के माध्यम से खरीदी जाती तो डिस्कॉम को 2 रुपए 50 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से 1375 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ होता, जो अब जन साधारण को वहन करना पड़ेगा।

उन्होंने बताया कि ओपन एक्सेस में अधिक उपभोग का मूल कारण राजस्थान में ओपन एक्सेस रेग्यूलेशन का उदार होना है जबकि अन्य राज्यों में ओपन एक्सेस रेग्यूलेशन काफी कठोर है। उन्होंने बताया कि इन उपभोक्ताओं का हित सुरक्षित रखने के साथ ही ओपन एक्सेस की वजह से जनसाधारण पर भी अनावश्यक भार नही पड़े, इसलिए ओपन एक्सेस के वर्तमान प्रावधानों में बदलाव करने हेतु विनियामक आयोग को निवेदन किया गया है।

————————

प्रेस विज्ञप्ति संख्या– 346/2016